छज्जीस-२ सचिवालय

विषय:

डब्ल्यू.पी. क-18772/2015 श्रीमती सुनीता श्रीवास्तव, विरुद्ध म.प्र. शासन।

യയയ

पंजी. क्र. 7115/2015/स्था.19, दिनांक 26.12.2015 मान, उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त पत्र

ശശേദ

कृपया विचाराधीन पत्र का अवलोकन करें।

मान, उच्च न्यायालय जबलपुर में डब्ल्यू.पी. क-18772/2015 श्रीमती सुनीता श्रीवास्तव, विरूद्ध म.प्र. शासन दायर की गई है। प्रकरण का संबंध कार्यपालन यंत्री,लोक निर्माण संभाग क्रमांक-1, सीधी से है।

2/ प्रकरण में कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण संभाग क्रमांक-1, सीधी को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना उचित होगा। तद्नुसार जारी किये जाने वाले आदेश का प्रारूप/स्वच्छ हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत।

अनुभाग अधिकारी. (रिक्स)

अन्य सिन्

सिक्

4/8/

"क् " जिल्ला क्लार्य ।


myes

Jonn 31-12-15

Sille

मध्य प्रवेश शासन लोक किर्नाम विभाग जन्म = 46-47-178 ी भूग हो। का विभाग

('G) "



मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय



2

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 412/2015

क्रमांक-एफ-19-446/2015/स्था./19, राज्य शासन एतद्द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (अधिनियम की संख्या-5) के आदेश सत्ताईस के नियम-1,तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण संभाग क्रमांक-1, सीधी को मान.उच्च न्यायालय, जबलपुर में डब्ल्यू.पी. क्रमांक-18772/2015 श्रीमती सुनीता श्रीवास्तव विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में मध्यप्रदेश राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और सत्यापित करने के लिये कार्य करने, आवेदन करने और उपसंजात होने के लिए नियुक्त करता है। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि म.प्र. विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अन्य बातों के साथ स्थिति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा:-

- 1. प्रभारी अधिकारी मामले में तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जांच करेगा जैसी की आवश्यकता हो और याचिका के उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता शासकीय अभिभावक को सहायता पहुंचाने की संभावना है। रिपोर्ट तैयार करेगा यदि किसी प्रक्रम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से की जायेगी।
- वह पत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं को पैरा अनुसार उत्तर देते हुए ओर ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें की शासकीय अभिभावक को सहायता पहुंचाने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा।
- 3. समस्त सुसंगत फाईलें, दस्तावेज, नियम, अधिसूचनाओं तथा आदेशों को एकत्रित करेगा।
- 4. उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।
- 5. शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन उत्तर तैयार कर सकेगा।
- 6. प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागजात पत्र भेजेगा :--
 - (क) वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।
 - (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का ऐक प्रारूप।
 - (ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल कराना....... प्रस्तावित है और किसी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई।
 - (घ) मामले के विशुद्धिकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां इसमें वाद पत्र की तारीख भी वर्णित होनी चाहिए।
 - 8. मामले को तैयार और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना वाद मामले में उसे जब भी कोई आदेश / निर्णय विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है उसके संबंध में विधि विभाग को सूचित करने तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।

- अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश / निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए इस विभाग को भेजें।/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए इस विभाग को भेजें।
- यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देनें में समय नष्ट नही हों।
- जैसे ही उसे अपने स्थानांतरण आदेश प्राप्त होते है वह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा यह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात भी जबकि प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता प्रभारी अधिकारी बना रहेगा।
- 11. प्रभारी अधिकारी मामला तैयार करने से शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य दस्तावेज अप्रकाशित / छुपा हुआ नहीं रह जाए।
- प्रभारी अधिकारी यदि लोक अभियोजन मुकर्रर है तो वह जैसे ही वाद का अविनिश्चिय होता है, परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को देगा। निर्णय एक अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त की जाय और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।
- 13. प्रभारी अधिकारी का यदि लोक अभियोजन मुकर्रर है, तो इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहां किसी वाद प्रक्रम में पारित किए गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह इस आदेश की प्रति जैसे ही यह पारित किया जाए विभाग अध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा सरकार प्रशासकीय विभाग को अग्रेषित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशिक्सार

(स्नील मड़ावी) अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग

पु.क.-एफ-19-496/2015 / स्था. / 19

भोपाल,दिनांक /12/2015

प्रतिलिपि:--निम्नांकित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् अग्रेषित :--

1 रिजस्ट्रार, मान.उच्च न्यायालय, जबलपुर म.प्र.।

- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल।
- प्रमुख अभियता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, भोपाल।

मुख्य अभियंता, लोक निर्माण रीवा परिक्षेत्र—रीवा।

- 5. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण संभाग क्रमांक-1, सीधी को प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित, साथ ही मान.उच्च न्यायालय, जबलपुर में शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने और उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रगति रिपोर्ट के साथ एक प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जा सके।
- जिलाध्यक्ष— सीधी ।

मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT JABALPUR FC9-496/015 rocess Id: 193859/2015 WP/18772/2015 for adm. / stay From Fixed for 04-01-2016 WP-DA-3 Kishore Pithawe Respondent No. 1 Deputy Registrar, High Court of Judicature at Jabalpur रतेक िय To, The State Of Madhya Pradesh Thu., Principal Secretary P.w.d. Vallabh Bhawan, Bhopal, District- Bhopal (MADHYA PRADESH), Jabalpur 05-12-2015 Notice to Respondent No. 1 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP/ 18772/ 2015 Sir/Madam, I am directed to inform you that one Smt. Sunita Shrivastava has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. WP/18772/2015 Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before 04-01-2016. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

(Seal of the Court)
Encl: Copy of Petition (19 19 19 19)

Your faithfully

DEPUTY REGISTRAR

Lof4